"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त 2008—श्रावनण 10, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं संजीव कुमार झा आत्मज श्री राजेश कुमार झा, उम्र 40 वर्ष, निवासी मकान नं. डी. 2/8, विमला विहार कालोनी, डंगनिया रायपुर (छ. ग.) का हूं. मैं अपनी पुत्री कु. रिंकी झा, उम्र 7 वर्ष का नाम परिवर्तित कर नया नाम कु. अनन्या झा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को कु. अनन्या झा आत्मजा संजीव कुमार झा के नाम से ज्ञाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
कु. रिंकी झा
आत्मजा संजीव कुमार झा
निवासी मकान नं. डी-2/8
विमला विहार कालोनी
डंगनिया, रायपुर (छ. ग.)

नया नाम
कु. अनन्या झा
आत्मजा संजीव कुमार झा
निवासी मकान नं. डी-2/8
विमला विहार कालोनी
डंगनिया, रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं संजीव कुमार झा आत्मज श्री राजेश कुमार झा, उम्र 40 वर्ष, निवासी मकान नं. डी. 2/8, विमला विहार कालोनी, डंगनिया, रायपुर (छ. ग.) का हूं . मैं अपनी पुत्री कु. संजना झा, उम्र 9 वर्ष का नाम परिवर्तित कर नया नाम कु. ऐश्वर्या झा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को कु. ऐश्वर्या झा आत्मजा संजीव कुमार झा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. संजना झा	कु. ऐश्वर्या झा
आत्मजा संजीव कुमार झा	आत्मजा संजीव कुमार झा
निवासी मकान नं. डी-2/8	निवासी मकान नं. डी-2/8
विमला विहार कालोनी	विमला विहार कालोनी
डंगनिया, रायपुर (छ. ग.)	डंगनिया, रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं आर. एन. शर्मा आत्मज श्री बी. पी. शर्मा, उम्र 42 वर्ष , निवासी 18-ए/जी पाकेट, मरोदा सेक्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं . मैं अपनी पुत्री कु. रिशा शर्मा, उम्र 10 वर्ष का नाम परिवर्तित कर नया नाम कु. ऋचा शर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को कु. ऋचा शर्मा आत्मजा आर. एन. शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. रिशा शर्मा	कु. ऋचा शर्मा
आत्मजा आर. एन. शर्मा	आत्मजा आर. एन. शर्मा
निवासी-18-ए/जी पाकेट	निवासी-18-ए/जी पाकेट
मरोदा सेक्टर भिलाई	मरोदा सेक्टर भिलाई
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, कुरूद, जिला-धमतरी

राजस्व प्रकरण क्रमांक ब/113 सन् 2007-2008

कुरूद, दिनांक 08 जुलाई 2008

क्र. 13/अविअ/वा/2008.—सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक रघुनंदन सिंह पवार पिता प्रद्युम्न सिंह पवार जाति ठाकुर

मुख्य प्रबंध ट्रस्टी, गायत्री परिवार ट्रस्ट, कुरूद, प. ह. नं. 29 के द्वारा ट्रस्ट (न्यास) का म. प्र./छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था आदि को किसी भी प्रकार का आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 11-08-2008 को प्रातः 11.00 बजे मेरे न्यायालय में स्वतः उपस्थित होकर अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दावा, आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. विलंब से प्राप्त दावा, आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 08-07-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

जन्मेजय महोबे,
अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 16 जुलाई 2008

क्र.726/उपंरा/परि./2008.—वस्तुतः गुहा मछुवा सहकारी समिति मर्यादित चिखली, पं क्र. 356, विकासखण्ड एवं जिला राजनांदगांव के संचालक मण्डल/प्रबंधकारिणी कमेटी का निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष दिनांक 27-7-2007 को समाप्त होने एवं निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराने के कारण छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1060 की धारा 49 (8) के तहत उक्त संस्था को अधिग्रहित कर श्री विनय कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, राजनांदगांव को कार्यालयीन आदेश क्र. /563/उपंरा/विधि/ दिनांक 23-5-2008 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया था. प्राधिकृत अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 25-6-2008 के द्वारा सूचित किया कि उक्त संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था का प्रभार नहीं सौंपा गया और न ही सदस्यगण निर्वाचन कराना चाहते हैं तथा संस्था अकार्यशील है. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. मैं प्राधिकृत अधिकारी की अनुशंसा से सहमत हूं.

अतः मैं एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं के शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा 2(ए/क) के विहित प्रावधानों के अंतर्गत गुहा मछुवा सहकारी समिति मर्यादित चिखली, पं. क्र. 356, विकासखण्ड एवं जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाए जाने का आदेश देता हूं तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के प्रावधानों के अधीन सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड राजनांदगांव को उक्त सोसायटी का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (3) के विहित प्रावधानों के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 16-7-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उत्तर बस्तर कांकेर

कांकेर, दिनांक 2 जुलाई 2008

क्रमांक /उपकां/परिसमापन/08/478.—कार्यालयीन पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2006-2007/274 दिनांक 05-05-06 में आंशिक संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत एवं छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना

क्रमांक /एफ-7/3/सह/15/2436 रायपुर दि. 13-06-01 द्वारा मुझमें वैष्ठित है की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सी. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक सहकारी समितियां, कांकेर (छ. ग.) वर्तमान में पदस्थ श्री एच. आर. दर्रो, सहकारी निरीक्षक को विकासखण्ड भानुप्रतापपुर के निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं :-

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयक क्रमांक/दिनांक
1.	बहु. सह. समि. मर्या. कोरर	336/25-03-64

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02-07-08 को जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 2 जुलाई 2008

क्रमांक /उपंकां/परिसमापन/08/478.—कार्यालयीन पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक/उपंकां/परिसमापन/2006-2007/274 दिनांक 05-05-06 में आंशिक संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत एवं छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक /एफ-7/3/सह/15/2436 रायपुर दि. 13-06-01 द्वारा मुझमें वैष्ठित है की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सी. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक सहकारी समितियां, कांकेर (छ. ग.) वर्तमान में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी श्री विजय कुमार कोडोपी को विकासखण्ड नरहरपुर के निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूं :-

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयक क्रमांक/दिनांक
1.	आदि. महिला बहु. सह. समि. मर्या. कुरालढेमली	214/4-11-89
2.	प्राथ. वृक्ष सह. समि. मर्या. मालगांव	292/25-11-91
3.	प्राथ. वृक्ष सह. समि. मर्या. शामतरा	290/25-11-91
4.	प्राथ. वृक्ष सह. समि. बादल	295/25-11-91

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02-07-08 को जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 2 जुलाई 2008

क्रमांक /उपंकां/परिसमापन/08/478.—कार्यालयीन पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक/उपंकां/परिसमापन/06/540 दिनांक 11-07-05 में आंशिक संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत एवं छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक /एफ-7/सह/15/2436 रायपुर दि. 13-06-01 द्वारा मुझमें वैष्ठित है की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सी. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक सहकारी समितियां, कांकेर (छ. ग.) वर्तमान में पदस्थ श्री के. एस. शोरी, व. स. नि. के स्थान पर श्री टी. ए. खान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कांकेर को जिला वृक्ष सहकारी समिति संघ मर्या. कांकेर, पं. क्र. 451 दिनांक 20-2-01 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02-07-08 को जारी किया गया.

सी. एल. ध्रुव,
उप-पंजीयक

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.

बिलासपुर, दिनांक 7 जुलाई 2008

क्रमांक/परिसमापक/07/क्यू/1403.—छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उप नियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिये सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी, यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौप देवें. अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

1. अरपांचल पशु एवं कुक्कुटपालन सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर 3913/21-9-98 नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
2. लोक सेवा प्राथ. उप. सह. भंडार मर्या. एल. ई. कालोनी बिलासपुर 3487/23-2-92
3. बालाजी काम. कारी. सह. समि. मर्या. बुधवारी बाजार बिलासपुर 148/13-6-03
4. को-आप. ट्रेनिंग सेंटर सह. समि. बिलासपुर 2614/22-12-60
5. आदर्श काम. एवं कारी. सह. समि. मर्या. देवरीखुर्द 3685/5-9-95
6. जय मां काली प्रा. सह. उप. भंडार मर्या. इंदिरानगर बिलासपुर 3600/17-2-95
7. पिछडावर्ग बेरोजगार श्रमिक सह. समि. मर्या. बिलासपुर 3719/20-3-96
8. डॉ. भीमराव अंबेडकर रेत गिट्टी क्रेशर मुरूम दयालबंद बिलासपुर 3695/29-9-95
9. आदिवासी मजदूर कल्याण श्रम ठेका सह. समि. बिलासपुर 3720/20-3-96
10. कृष्णा खनिज सहकारी समि. मर्या. कोनी 3777/23-9-96
11. महिला सफाई काम. सह. समि. मर्या. बिलासपुर 155/24-10-03
12. विलासा रेत मुरूम गिट्टी सह. समि. मर्या. कतियापारा 3734/21-5-96
13. शासकीय शालेय प्रा. उप. सह. भंडार मर्या. बिलासपुर 2909/13-12-67
14. बाल्मीकी बहु. सह. समि. मर्या. टिकरापारा 2117/
15. शिव गंगा प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या. बंगलायार्ड बिलासपुर 3605/17-2-95

नमिता विश्वास,
स. नि./परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत, गौरेला

गौरेला, दिनांक 7 जुलाई 2008

क्रमांक/स. वि. अ. /परिसमापन/08/4524.-छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित प्रमाण-पत्र इस प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र.	संस्था का नाम एवं पंजीयन क्रमांक		परिसमापक
1.	मैकल खनिज सह. समिति मर्या. धनौली पं. क्र.	3763 / 18-9-1996	जी. डी. जयसिंह सहकारिता विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत, गौरेला
2.	हरिजन मत्स्यो उद्योग सह. समिति मर्या. टीकरकला पं. क्र.	3141 / 30-9-95	--" --

जी. डी. जयसिंह,
परिसमापक एवं स. वि. अ.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.